

टेण्डर फार्म वर्ष 2010-11

फार्म शुल्क
फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि
समय

रु0 निःशुल्क
25.8.2010
4:00 अपराह्न बजे

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्,
विद्या भवन, निशातगंज,
लखनऊ।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्रमें प्रकाशित विज्ञापन दिनांक
..के सन्दर्भ में अपना टेण्डर निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ।

तकनीकी भाव पत्र

क्र0सं0	आयकर प्रमाण पत्र/ पैन नं0	अर्नेस्टमनी धनराशि का विवरण	फार्म दिनांक	सर्विस टैक्स नंबर व प्रमाण पत्र फार्म	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

वित्तीय आफर हेतु फार्म संलग्न है।

निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् के पक्ष में रूपया 5,000/- (रूपया पांच हजार मात्र) की धनराशि अर्नेस्टमनी के रूप में सावधि जमा/बैंक ड्राफ्ट संख्या.....राष्ट्रीय बैंक का नाम.....
.....शाखा दिनांक.....के माध्यम से जमा कर रहा हूँ। मेरे द्वारा संबंधित शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ ली है तथा यह शर्तें पूर्णतया मान्य है और मैं उसका पूरा पालन करूँगा।

दिनांक
दूरभाष संख्या
फैक्स नं0

भवदीय,

निर्माता /विक्रेता के हस्ताक्षर व मोहर
नाम.....
हस्ताक्षर.....
फर्म का पूरा पता.....

राज्य परियोजना कार्यालय,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्,
'विद्या भवन, निशातगंज,
लखनऊ ।

संख्या.....दिनांक.....

निविदा सूचना / शर्तें

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ में समय-समय पर किरायें की टैक्सी हेतु संलग्न विवरण के अनुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। सीलबन्द निविदा दो पार्ट में जिसमें प्रथम भाग में टेक्निकल आफर एक लिफाफे में तथा द्वितीय भाग में वित्तीय आफर दूसरे लिफाफे में जिनके ऊपर क्रमशः टेक्नीकल तथा वित्तीय आफर वाहन टैक्सी निविदा वर्ष 2010-11 लिखा होगा को एक लिफाफे में रखकर सीलबन्द कर राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश, विद्या भवन, लखनऊ को दर्शाये गये दिनांक एवं शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:-

1. टेक्नीकल/वित्तीय आफर अलग-अलग कवर के साथ तथा संबंधित प्रपत्रों सहित दिनांक **25.08.2010** को **2:00** बजे तक राज्य परियोजना कार्यालय, उ०प्र० लखनऊ में प्राप्त किये जायेंगे।
2. टेक्नीकल आफर के लिफाफे दिनांक **25.08.2010** को **5:00** बजे खोला जायेगा तथा तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये निविदादाताओं के वित्तीय आफर का लिफाफा **26.08.2010** को अपराह्न: **4:00** बजे खोला जायेगा।
3. नियमानुसार सर्विस टैक्स आदि फर्म द्वारा देय होगा कर के बराबर टी डी एस की कटौती की जायेगी।
4. स्वीकृत दरों के वाहन निम्न स्तर के पाये जायेंगे तो संबंधित फर्म को काली सूची में रखा जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. निर्धारित समय के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में आदेश आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त किया जा सकता है। समुचित कारण न पाये जाने पर संबंधित फर्म की जमानत जब्त आदि किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
6. निविदा प्रपत्र खरीदने के इच्छुक प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रपत्र निःशुल्क राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय निशातगंज, लखनऊ उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं।

7. स्वीकृत निविदादाताओं से नियमानुसार प्रतिभूति ली जायेगी।
8. निदेशक को समस्त या किसी एक निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रहेगा।
9. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या, निविदा में उल्लेख होना आवश्यक है। वर्तमान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फार्म की प्रतिलिपि संलग्न की जाये।
10. निविदा बाक्स राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ में रखा है जिसमें सभी निविदायें निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत डाली जायेगी, निविदा दस्ती प्राप्त नहीं की जायेगी।
11. निविदा में दी गयी दरों में से जो दरें स्वीकृत की जायेंगी वे दरें निविदा स्वीकृति होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होंगे। यदि कोई निविदादाता निविदा में अंकित दरों पर सम्पूर्ति करने में असमर्थ पाया गया तो फर्म की जमानत राशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा भविष्य में उसका कोई भी टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. स्वीकृत फर्म को उसी दर पर वाहन उपलब्ध कराने होंगे जो दर फर्म ने निविदा में अंकित की हैं।
13. राज्य परियोजना निदेशक द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
14. निविदा की अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।
15. निविदादाता को निविदा के साथ राष्ट्रीकृत बैंक का रू0 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, के पदनाम से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य है। अर्नेस्ट मनी बैंक गारण्टी के रूप में भी स्वीकार की जायेगी।
16. टेक्निकल आफर के साथ निविदादाताओं को रू0 5,000/- अर्नेस्टमनी धनराशि तथा वैट टैक्स/पंजीकरण प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित निविदा शर्तें आदि के साथ संलग्न करना होगा।
17. वित्तीय आफर से संबंधित लिफाफें में केवल दरें निर्धारित प्रारूप पर निविदादाताओं द्वारा दिया जाना अनिवार्य है।
18. निविदादाता निर्धारित प्रारूप पर दी गयी स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही दरें/रेट उल्लिखित करेंगे।

19. निविदादाता अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार अपने-अपने फर्म के पैड अथवा वित्तीय आफर के टेण्डर फार्म पर निर्धारित प्रारूप पर दी गयी स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही दरें/रेट उल्लिखित कर सकते हैं। इन प्रपत्रों पर उनके द्वारा हस्ताक्षर कर मोहर लगाया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदादाता को सरकारी विभागों में कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
21. निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा प्रपत्र निर्देशों/शर्तों आदि का भलीभाँति परीक्षण कर आवश्यक शर्तों/प्रपत्र आदि पूर्ण करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें।
22. निविदा भरने व जमा करने पर होने वाले समस्त व्यय निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।
23. निविदा में पत्राचार हेतु हिन्दी व अंग्रेजी भाषा मान्य होगी।
24. निविदा स्वीकार होने पर वाहन के उपयोग के पश्चात् एक माह के अन्दर देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
25. तकनीकी भाव पत्र के साथ निम्नलिखित साक्ष्यों/प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न की जानी आवश्यक है एवं उन पर निविदादाता के भी हस्ताक्षर होना चाहिए।
- (अ) निविदा धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा पर निविदा दाता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जायेंगे।
- (ब) अनुभव प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण।
- (स) निविदा शर्तों को हस्ताक्षरित कर तकनीकी भाव पत्र के साथ।
- (द) सर्विस टैक्स पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र तथा क्लियरेंस प्रमाण पत्र।
- (य) विगत दो वर्षों की आडिट बैलेंसशीट।
- (र) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र।
- (ल) फर्म परिवहन विभाग में टैक्सी के लिये पंजीकृत हो।
26. किसी भी दशा में निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा प्रपत्र न तो बेचे जायेंगे और नही प्राप्त किये जायेंगे। डाक से मँगायी गयी एवं भिजवायी गयी निविदायें विलम्ब से प्राप्त होने पर कार्यालय किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा।
27. पर्यावरण पोषक सी0एन0जी0 वाहन तुलनात्मक दृष्टि से सस्ते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

28. निविदायें निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नामित समिति द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।
29. निविदादाता को अपने डाक का पता, फोन व फ़ैक्स नं० लिखित रूप में देना होगा। उस पते पर डाक द्वारा भेजी गयी सूचना/निर्देश निविदादाता को मिला हुआ माना जायेगा। निविदादाता द्वारा पते में परिवर्तन की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को देनी होगी।
30. फर्म का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू० ०५ लाख होना चाहिए।
31. निविदादाता चाहें तो निविदा खुलते समय उपस्थित रह सकते हैं।
32. दरों पर कटिंग, अपलेखन वर्जित है। यदि कहीं कटिंग या अपलेखन है तो टेण्डर दाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाये।
33. किसी भी विवाद की दशा में निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ का फैसला अन्तिम होगा व दोनों/समस्त पक्षों को मान्य होगा।
34. वाहन गैस चलित नहीं होने चाहिए।

(बिनोद सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्,
विद्या भवन, निशातगंज,
लखनऊ

वित्तीय प्रारूप

क्र० सं०	टैक्सी हेतु पेट्रोल/डीजल कि०मी० सहित	एम्बैस्डर (डीजल)		इण्डिका (डीजल)		इनोवा (डीजल) ए०सी०	बुलेरो		टाटा इण्डिगो			
		ए०सी०	नॉन ए०सी०	ए०सी०	नॉन ए०सी०		ए०सी०	नॉन ए०सी०	पेट्रोल)		(डीजल)	
									ए०सी०	नॉन ए०सी०	ए०सी०	नॉन ए०सी०
1.	8 घंटे 160 कि०मी०											
2.	प्रति अतिरिक्त कि०मी०											
3.	प्रति अतिरिक्त घंटा											
4.	प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक स्टेशन में/बाहर											
5.	प्रतिमाह 2400 कि०मी०/ 12 घंटे प्रतिदिन											